



Neutral Citation No. - 2026:AHC:64920

ए.एफ.आर.

सुरक्षित दिनांक: 16.12.2025

निणीत दिनांक: 28.03.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 2941/1988

राम निवासअपीलार्थी (गण)

बनाम

राज्यप्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता : पंकज कुमार शर्मा, राम निवास

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 92

माननीय न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना

1. अपीलकर्ता के अधिवक्ता और राज्य की ओर से एजीए की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
2. यह आपराधिक अपील अभियुक्त-अपीलकर्ता द्वारा उस फ़ैसले और आदेश के खिलाफ़ दायर की गई है, जो विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र (डीएए)/चतुर्थ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एटा ने विशेष सत्र विचारण संख्या 567/1984 में 21.12.1988 को सुनाया था। इस फ़ैसले में विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया था और उसे दो साल की कठोर सज़ा सुनाई थी।
3. संक्षेप में, विचारण न्यायालय के सामने अभियोजन पक्ष की कहानी यह थी कि आरोपी अपीलकर्ता राम निवास ने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर 02.03.1984 को शाम 4:00 बजे के बाद, एटा जिले के सहावर पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले याकूतगंज गाँव में डकैती की और नत्थू (राम चंद्र का बेटा, जो इस मामले का शिकायतकर्ता है) के कब्जे से एक 'एस्कॉर्ट' ट्रैक्टर और ट्रॉली लूट ली। वह ट्रैक्टर महेंद्र पाल सिंह और प्रेम सिंह की संयुक्त मिल्कियत में था, जो बदायूँ जिले के बिल्सी शहर और पुलिस स्टेशन क्षेत्र के निवासी थे। बाद में, 30.03.1984 को सोरों पुलिस स्टेशन के इलाके में नगला उल्फ़त गाँव में, एक आरोपी नत्थू राम के पास ट्रैक्टर का एक पहिया मिला। उसे पता था या उसे यह मानने का कारण था कि वह सामान चोरी का है। इसके बाद, 04.06.1984 को दोपहर लगभग 3:30 बजे,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सोरों पुलिस स्टेशन के तहत ताली गाँव की सीमा में बूढ़ी गंगा के जंगल में नाले के पास, आरोपियों के पास से एक ट्रैक्टर और एक ट्रॉली भी बरामद की गई। शिकायतकर्ता नत्थू ने 02.03.1984 को रात लगभग 8:45 बजे सहावर पुलिस स्टेशन में एक एफ.आई.आर. दर्ज कराई। इसमें आरोप लगाया गया कि वह महेन्द्र पाल और प्रेम सिंह का ड्राइवर था और ट्रैक्टर चलाता था। 02.03.1984 को, एक अनजान व्यक्ति ने महेन्द्र पाल सिंह और प्रेम सिंह से आलू ढोने के लिए ट्रैक्टर किराए पर लिया था। इसके बाद, तीन लोग भी उन अनजान लोगों के साथ नगरिया गाँव में इस बहाने से बैठ गए कि वे मज़दूर हैं। जब वे सभी याकूतगंज गाँव के पास सड़क पर पहुँचे, तो उन लोगों ने शिकायत करने वाले के हाथ-पैर बाँधकर उसे रेत के टीलों में छोड़ दिया और ट्रैक्टर लेकर चले गए।

4. इस मामले की जांच सहावर पुलिस स्टेशन के एस.आई. श्री लाल सिंह को सौंपी गई। वे घटना स्थल पर पहुँचे और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच के दौरान, 30.03.1984 को सोरों पुलिस स्टेशन के अंतर्गत नगला उल्फत के इलाके के जंगल से चोरी हुआ ट्रैक्टर बरामद किया गया और इस संबंध में एक रिकवरी मेमो तैयार किया गया। उक्त ट्रैक्टर का एक पहिया नत्थू राम के घर से बरामद किया गया और जांच के दौरान उसकी बरामदगी का मेमो भी तैयार किया गया। 04.06.1984 को, इस मामले में अपील करने वाले आरोपी राम निवास को सहावर पुलिस स्टेशन की पुलिस ने आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत एक अन्य अपराध (क्राइम नंबर 112/1984) में गिरफ्तार किया। उसने उस ट्रैक्टर की लूट की बात कबूल की और भरोसा दिलाया कि वह ट्रैक्टर की ट्रॉली बरामद करवा सकता है। उक्त ट्रॉली को 04.06.1984 को दोपहर लगभग 3:50 बजे, राम निवास की निशानदेही पर बाली गाँव के इलाके में बूढ़ी गंगा के नाले के पास से बरामद किया गया और जाँच अधिकारी ने बरामदगी का मेमो तैयार किया। जाँच अधिकारी ने चोरी हुए ट्रैक्टर की बरामदगी वाली जगह का भी निरीक्षण किया और उसका साइट प्लान तैयार किया।

5. चार्ज-शीट दाखिल होने के बाद, आरोपी अपीलकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 392 और 411 के तहत आरोप तय किए गए। आरोपी ने सभी आरोपों से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही। सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज अपने बयान में, आरोपी ने कहा कि उसे दुश्मनी और गाँव की गुटबाजी के कारण इस मामले में झूठा फँसाया गया था।

6. विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों की जांच करने के बाद, आरोपी राम निवास को आईपीसी की धारा 411 के तहत दोषी ठहराया, जबकि आईपीसी की धारा 392 के तहत लगे आरोप से उसे बरी कर दिया।

7. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि विचारण न्यायालय सबूतों को सही नज़रिए से समझने में नाकाम रहा और इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई कमियाँ थीं, खासकर यह बात कि चोरी हुई संपत्ति यानी ट्रॉली की पहचान उसके असली मालिक ने कभी नहीं की। यह भी कहा गया है कि आरोपी-अपीलकर्ता के खिलाफ एकमात्र सबूत पुलिस अधिकारियों द्वारा अपीलकर्ता की निशानदेही पर की गई बरामदगी है, और चूंकि लूटा गया सामान एक खुली जगह से बरामद किया गया था जो आरोपी के विशेष कब्जे में नहीं थी, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बरामदगी के समय आरोपी-अपीलकर्ता के पास चोरी का सामान था।

8. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान एजीए का कहना है कि विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद अभियोजन पक्ष के सबूतों का सही मूल्यांकन किया और सही ढंग से यह माना कि चोरी का सामान बरामद होने के समय वह सामान आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे में था।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. इस कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सभी सबूतों पर गौर किया। P.W.-1 नत्थू ने अपनी गवाही में कहा कि वह महेंद्र सिंह, राम प्रकाश और जय सिंह के ट्रैक्टर का ड्राइवर था; ये तीनों उस ट्रैक्टर के संयुक्त मालिक थे। घटना वाले दिन, ट्रैक्टर के मालिक ने उसे एक अनजान व्यक्ति के साथ आलू ढोने के लिए भेजा था। जब वे याकूतगंज पहुँचे, तो चार अनजान लोग वहाँ आए और शाम लगभग 7:30 बजे ट्रैक्टर ले गए। उन्होंने इस घटना के बारे में संबंधित पुलिस स्टेशन में एफ.आई.आर. दर्ज कराई। P.W.-2 शिवराज सिंह ने अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने नत्थू को चार अन्य लोगों के साथ ट्रैक्टर पर देखा था; जब वे ट्रैक्टर के पास पहुँचे, तो सभी आरोपी वहाँ से चले गए। ट्रैक्टर मथुरा प्रसाद के खेत में देखा गया था। पुलिस ने नत्थू के घर से उस ट्रैक्टर का एक पहिया बरामद किया। गवाह P.W.-3 भगवान ने अपनी गवाही में कहा है कि घटना वाले दिन रात को लगभग 9:00 बजे वह ओमपाल के खेत में मौजूद था। वहाँ एक ट्रैक्टर पर चार लोग सवार थे, लेकिन वह उन लोगों की पहचान नहीं कर सके। P.W.-4 महेंद्र सिंह ने अपनी गवाही में बताया कि संबंधित दिन आरोपी राम नियास के बताने पर पुलिस ने 'बूढ़ी गंगा' के पास उनकी मौजूदगी में ट्रॉली बरामद की थी। उन्होंने रिकवरी मेमो पर अपने हस्ताक्षर किए थे। जिरह के दौरान, इस गवाह ने माना कि उन्हें उस ट्रॉली का रंग याद नहीं था।

10. चोरी हुई उस संपत्ति के मालिक, यानी राम प्रकाश से विचारणके दौरान P.W.-5 के तौर पर पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी गवाही में कहा कि वे उस ट्रैक्टर और ट्रॉली के मालिक थे। वह ट्रैक्टर और ट्रॉली एक बार चोरी हो गए थे, लेकिन बाद में पुलिस ने आरोपी व्यक्ति से वह संपत्ति बरामद कर ली। विचारण न्यायालय के सामने उसे पेश करने की ज़मानत देने पर वह संपत्ति उन्हें वापस कर दी गई। विचारणके दौरान जिरह में उन्होंने माना कि चूंकि वह ट्रैक्टर और ट्रॉली बहुत खराब हालत में थे, इसलिए वे विचारणके दौरान उन्हें कोर्ट में पेश नहीं कर सके। उन्होंने यह भी माना कि जांच के दौरान उन्होंने बरामद चोरी के सामान की पहचान की थी। इस मामले के जांच अधिकारी C.W.-1, लाल सिंह ने अपनी गवाही में बताया कि उन्होंने आरोपी राम नियास के बताए अनुसार 04.06.1984 को जांच के दौरान ट्रॉली बरामद की थी। अपनी गवाही में उन्होंने माना कि वह ट्रॉली एक खुले खेत से बरामद की गई थी।

11. रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखने से यह साफ़ है कि विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता को दोषी ठहराया, क्योंकि जांच के दौरान P.W.-4 की मौजूदगी में आरोपी की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद हुआ था।

12. त्रिंबक बनाम मध्य प्रदेश राज्य (एआईआर 1954 SC 39) के अहम मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आईपीसी की धारा 411 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए निम्नलिखित बातें साबित करना ज़रूरी है:-

- (i) कि चोरी का सामान आरोपी के कब्जे में था,
- (ii) कि आरोपी के कब्जे में आने से पहले वह सामान किसी और व्यक्ति के कब्जे में था, और
- (iii) कि आरोपी को पता था कि वह सामान चोरी का है।

13. इस कोर्ट ने 'रज्जुआ बनाम स्टेट' AIR 1959 All 718 के अहम मामले में, ऊपर बताए गए तत्वों में से दूसरे तत्व (ii) को समझाते हुए यह कहा कि 'त्रिंबक' (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में, IPC की धारा 411 के दूसरे तत्व की ओर इशारा करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय असल में चोरी का सामान लेने वाले व्यक्ति और खुद चोर के बीच के उस अंतर को ही दोहरा रहा था जिसे अच्छी तरह से

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



माना जाता है। जब चोर चोरी का सामान उसके मालिक के कब्जे से हटाकर अपने कब्जे में ले लेता है, तो वह न सिर्फ चोरी करता है, बल्कि चोरी का सामान चोरी का होने की जानकारी के बावजूद उसे अपने पास रखता भी है। हालाँकि, उसे इन दोनों अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अगर वह 'चोर' है, तो वह चोरी का सामान एक चोर की हैसियत से अपने पास रखता है, न कि उसे लेने वाले (रिसीवर) की हैसियत से। इसलिए, यह माना गया है कि एक ही व्यक्ति को चोरी करने और चोरी का सामान यह जानते हुए लेने कि वह चोरी का है, दोनों अपराधों के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। त्रिंबक (ऊपर बताए गए) मामले में यह तय किया गया कि अपराध के लिए ज़रूरी तीनों मुख्य बातें साबित नहीं हो पाईं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चोरी का सामान जिस खेत से मिला, वह खुला था और वहाँ कोई भी आ-जा सकता था। इसलिए, यह पक्के तौर पर कहना मुश्किल था कि चोरी का सामान आरोपी के कब्जे में था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी त्रिंबक ही चोर था। साथ ही, ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि अपीलकर्ता को चोरी का सामान मिलने से पहले वह किसी और के पास था, इसलिए उसे आईपीसी की धारा 411 के तहत चोरी का सामान रखने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

14. रज्जुआ (ऊपर उल्लिखित) मामले में, इस कोर्ट ने माना कि IPC की धारा 411 के तहत हर मामले में दो तथ्यों को सीधे सबूतों से साबित करना ज़रूरी है, जो इस प्रकार हैं:-

- (i) कि चोरी हुई थी और कुछ सामान चोरी किया गया था;
- (ii) कि चोरी का सामान आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया था;

अगर ये दो बातें साबित हो जाती हैं और आरोपी के पास से बरामदगी हाल ही की है, तो कोर्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (क) के तहत यह मान सकता है कि आरोपी या तो चोर है या चोरी का सामान लेने वाला है। हालाँकि, यह अनुमान लगाना अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है और कुछ मामलों में यह लागू नहीं भी हो सकता है, जैसे कि जब मामले की परिस्थितियों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि चोरी के तुरंत बाद ही बरामदगी हुई थी।

15. इन दो अहम फैसलों - एक माननीय उच्चतम न्यायालय का 'त्रिंबक' (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में और दूसरा इस कोर्ट का 'रज्जुआ' (ऊपर ज़िक्र किया गया) मामले में - को ध्यान में रखते हुए, इस कोर्ट को यह देखना है कि क्या मौजूदा मामले में, माननीय कोर्ट द्वारा बताई गई IPC की धारा 411 को ज़रूरी शर्तें अभियोजन पक्ष ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से साबित कर दी हैं।

16. जांच के दौरान आरोपी-अपीलकर्ता की निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद होने के मामले में, अभियोजन पक्ष के दो गवाहों - महेंद्र सिंह (P.W.-4) और S.I. श्री लाल सिंह (C.W.-1) (जो इस मामले के जांच अधिकारी थे) - से पूछताछ की गई।

17. P.W.-4 महेंद्र सिंह के बयान को देखने से यह साफ़ है कि चोरी का सामान बूढ़ी गंगा नदी के पास एक खुली जगह/खेत से बरामद किया गया था। यह बताना ज़रूरी है कि P.W.-4 अपनी जिरह के दौरान चोरी हुए सामान, यानी ट्रॉली, का रंग भी नहीं बता पाए। उन्होंने कहा है कि बरामदगी वाली जगह ताली गाँव के लोगों की है और बरामदगी के समय वहाँ स्थानीय लोग जमा हो गए थे। श्री लाल सिंह (C.W.-1) ने अपने बयान में साफ़ तौर पर कहा कि आरोपी-अपीलकर्ता के बताए अनुसार चोरी की गई संपत्ति (ट्रॉली) की बरामदगी 04.06.1984 को की गई थी, जबकि उक्त संपत्ति की चोरी 02.03.1984 को

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हुई बताई जाती है। इस गवाह ने यह भी बताया कि उक्त बरामदगी के दौरान बरामदगी का मेमो तैयार किया गया था, जिसे Exh. Ka-3 के रूप में पेश किया गया है, और उक्त बरामदगी मेमो की एक प्रति आरोपी-अपीलकर्ता राम निवास को दी गई थी। अब इन दो गवाहों के बयानों को देखते हुए, इस बात की जांच की जानी है कि क्या अभियोजन पक्ष यह साबित कर पाया है कि संबंधित समय पर चोरी का सामान आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे में था।

18. रिकवरी मेमो और P.W.-4 व C.W.-1 के बयानों को देखने से यह साफ़ है कि उक्त रिकवरी एक ऐसी खुली जगह/खेत से की गई थी जहाँ कोई भी आ-जा सकता था। इसलिए, यह निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है कि बरामदगी के समय चोरी का सामान आरोपी-अपीलकर्ता के कब्जे में था, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने त्रिंबक (ऊपर उल्लिखित) मामले में माना था। साथ ही, यह भी स्पष्ट है कि बरामदगी मेमो (Ex. क-3) तैयार करते समय आरोपी-अपीलकर्ता को उसकी एक कॉपी दी गई थी, लेकिन उस बरामदगी मेमो (Ex. क-3) पर न तो आरोपी-अपीलकर्ता के हस्ताक्षर थे और न ही उसका अंगूठे का निशान मिला था। बरामदगी के एकमात्र स्वतंत्र गवाह, यानी P.W.-4 से विचारणके दौरान पूछताछ की गई; वह उस जगह या गाँव का रहने वाला नहीं था जहाँ से बरामदगी हुई थी। अभियोजन पक्ष ने बरामदगी वाली जगह के एक स्थानीय निवासी, रघुनाथ, को भी गवाह बनाया था, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के समर्थन में उससे पूछताछ नहीं की गई। P.W.-4 महेंद्र सिंह चोरी हुई संपत्ति (यानी ट्रैक्टर ट्रॉली) का ज़रूरी विवरण और उसके बारे में अन्य जानकारी नहीं बता सके, इसलिए आरोपी-अपीलकर्ता के बताए अनुसार चोरी हुई संपत्ति की बरामदगी ही बहुत संदिग्ध लगती है। इस कोर्ट की यह राय है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से यह बात उचित संदेह से परे साबित नहीं हुई है कि बरामदगी के समय चोरी हुई संपत्ति असल में आरोपी राम निवास के कब्जे में थी। यह बताना ज़रूरी है कि उस प्रॉपर्टी के असली मालिक, राम प्रकाश, से P.W.-5 के तौर पर पूछताछ की गई थी। इस गवाह के बयान से यह साफ़ है कि बरामद की गई चोरी की प्रॉपर्टी को न तो कभी विचारण न्यायालय के सामने पेश किया गया और न ही जांच या विचारणके दौरान प्रॉपर्टी के असली मालिक ने उसकी पहचान की।

19. अब ऊपर बताए गए अहम मामलों को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या आरोपी-अपीलकर्ता के बताए अनुसार की गई बरामदगी हाल की थी, ताकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के दृष्टांत (क) के तहत अनुमान का लाभ अभियोजन पक्ष को दिया जा सके।

20. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 में यह प्रावधान है कि कोर्ट किसी ऐसी घटना या तथ्य के होने का अनुमान लगा सकती है जिसके होने की संभावना हो; इसके लिए कोर्ट प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय व्यवहार और सार्वजनिक व निजी कामकाज के सामान्य क्रम को उस खास मामले के तथ्यों के संदर्भ में ध्यान में रख सकती है। कोर्ट यह अनुमान लगा सकती है कि:-

(क) कि जिस व्यक्ति के पास चोरी के तुरंत बाद चोरी का सामान मिलता है, वह या तो चोर है या उसने यह जानते हुए सामान लिया है कि वह चोरी का है, जब तक कि वह अपने पास सामान होने का कोई उचित कारण न बता सके;

21. अब मौजूदा मामले पर आते हैं, चोरी की घटना 02.03.1984 को हुई बताई जाती है, जबकि आरोपी-अपीलकर्ता की निशानदेही पर चोरी का सामान 04.06.1984 को बरामद किया गया। यह बरामदगी घटना की तारीख के तीन महीने से भी ज़्यादा समय बाद जांच के दौरान हुई थी, और किसी भी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



हाल में इसे हाल-फिलहाल की बरामदगी नहीं कहा जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'त्रिबंक' (उपर्युक्त) मामले में बताए गए तीनों तत्वों को सीधे सबूतों से साबित करने की ज़िम्मेदारी अभियोजन पक्ष की है। इस कोर्ट की सोच यह है कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के आधार पर, अभियोजन पक्ष इन तीनों तत्वों को किसी भी उचित संदेह से परे साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

22. इस प्रकार, ऊपर बताए गए कारणों से, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। एतद्वारा अपील स्वीकार की जाती है। विशेष सत्र विचारण संख्या 567/1984 में विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र (डीए)/चौथे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा 21.12.1988 को सुनाए गए फैसले और आदेश को इसके द्वारा रद्द किया जाता है और आरोपी-अपीलकर्ता राम निवास को आईपीसी की धारा 411 के आरोप से बरी किया जाता है।

23. अपीलकर्ता जमानत पर है। उसके जमानत बांड और जमानतदारों को मुक्त किया जाता है।

24. इस निर्णय और आदेश को संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को सूचित किया जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

25. मूल अभिलेखों को संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजा जाए।

(न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना,)

28 मार्च, 2026

ए.एस.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"